प्रेस नोट **20/09/2024**

50000-50000 रुपये के 02 नफर ईनामिया तथा 01 अन्य कुल 03 नफर गैंगेस्टर मोबाइल चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 28 अदद मल्टीमिडिया मोबाइल (लगभग 07 लाख कीमती), तमन्चा व कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में एसओजी/स्वाट/सर्विलांस एवं थाना कोतवाली पुलिस टीम को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 19.09.2024 को रेलवे स्टेशन के पास मुहल्ला मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर मऊ से 03 नफर मोबाइल चोर अभियुक्तगण शेखर माहतो पुत्र गोलकिया महतो निवासी महाराजपुर थाना तालझारी जनपद साहेबगंज झारखण्ड, छोटू कुमार पुत्र जोगेन्दर महतो निवासी महराजपुर नया टोला थाना तालझारी जिला साहबगंज झारखण्ड, गोलकिया महतो पुत्र बालगोविन्द महतो निवासी महराजपुर नया टोला थाना तालझारी जिला साहबगंज झारखण्ड के कब्जे से चोरी के 28 अदद मल्टीमिडिया मोबाइल (लगभग 07 लाख कीमती) व एक अदद नाजायज तमन्चा व तीन अदद कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। कडाई से पुछताछ किया गया तो उक्त द्वारा बताया किं अपने गाँव के लोगो को इकठ्ठा कर प्रदेश के विभिन्न शहरो के मलिन बस्तियो मे रहकर भीड़ भाड़ वाले इलाको मे लोगो के जेब से व विभिन्न दुकान के काउन्टरो से मोबाइल को चुटकियो मे चुरा लेते है तथा इन मोबाइलो को पश्चिम बंगाल के रास्ते बाग्लादेश भेजवा देते है। उक्त अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग–

1. मु0अ0सं0 305/2024 धारा 317(2),317(4),317(5),3(5), बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 306/2024 धारा 317(2),317(4),317(5),3(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मऊ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. शेखर माहतो पुत्र गोलकिया महतो निवासी महाराजपुर थाना तालझारी जिला साहेबगंज झारखण्ड ।(ईनामिया)

2. छोटू कुमार पुत्र जोगेन्दर महतो निवासी महराजपुर नया टोला थाना तालझारी जिला साहबगंज झारखण्ड ।(ईनामिया)

3. गोलकिया महतो पुत्र बालगोविन्द महतो निवासी महराजपुर नया टोला थाना तालझारी जिला साहबगंज झारखण्ड।

बरामदगी–

1. 28 अदद मोबाइल चोरी की विभिन्न कम्पनियो के।
2. 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 03 अदद कारतूस।

अपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0 0001/2024 धारा 379, 411, 413, 414 भा.वि.द. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

2. मु0अ0सं0 0147/2024 धारा (1)3गैगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

3. मु0अ0सं0 0462/2023 धारा 34, 379, 411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

4. मु0अ0सं0 0464/2023 धारा 34, 379, 411 भा.द.वि. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

5. मु0अ0सं0 0266/2023 धारा 34, 379, 411 भा.द.वि. थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 0267/2023 धारा 34, 379, 411 भा.द.वि. थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 0448/2023 धारा 34, 379, 411 भा.द.वि. थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिहं, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 अनिल द्विवेदी, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ.नि. श्री मनोज कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी/स्वाट जनपद मऊ मय टीम
4. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, प्रभारी सर्विलांस जनपद मऊ मय टीम
5. का0 अनिल कुमार पाण्डेय , थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 अमरेश सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पॉक्सो मामले में एक महिला सहित दोषसिद्ध 03 अभियुक्त क्रमशः 10 वर्ष, 08 वर्ष व 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000-20,000 के अर्थदंड से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाक्सो-1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 20-09-2024 को मु0अ0सं0 547/2016 धारा 147, 307, 354, 394, 452, 504, 506 भादवि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्तगण भानू सोनकर पुत्र स्व0 द्वारिका सोनकर, श्रीमती अशर्फी देवी पत्नी भानू सोनकर व बबलू सोनकर पुत्र भानू सोनकर निवासीगण खैराबाद सोनकरबस्ती थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए क्रमशः 10 वर्ष, 08 वर्ष व 03 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं ₹20,000-20,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत आयुद्ध अधिनियम में एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹1,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एसीजेएम/एसडी जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 20-09-2024 को मु0अ0सं0 372/1996 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मधुबन में दोषसिद्ध अभियुक्त पंकज पुत्र रामवृक्ष यादव निवासी नुरुल्लाहपुर थाना मधुबन जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹1,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।